**Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]**

FORM OF ORDER SHEET

**IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.**

Anganbari Revision No.- 01 /2024

***Chandani Kumari.....Petitioner***

***Versus***

***The State of Bihar & Ors.....Opposite parties***

| Serial No. | Date of order of proceeding. | Order with signature of the court. | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **04-10-2024** | **—:आदेश:—**<br>प्रस्तुत आंगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा पारित आदे" । ज्ञापांक— 35, दिनांक— 08.01.2024 के विरूद्ध दायर किया गया है।<br>उभय पक्ष उपस्थित। सुना। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विभागीय मार्गदर्शिका पत्रांक— 286, दिनांक— 27.5.2019 के आलोक में ग्राम पंचायत—लक्ष्मीपुर, वार्ड सं0— 10, परियोजना— बी0कोठी, जिला— पूर्णिया में आंगनबाड़ी सेविका पद हेतु कुल 06 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन समर्पित किये जाने के पश्चात् निर्मित औपबंधिक मेघा सूची के अनुसार चंदन कुमारी (आवेदिका) (वास्तविक नाम चांदनी कुमारी) 65 प्रतिशत मेघा अंक के साथ क्रमांक—01 पर थी तथा डिम्पल कुमारी (विपक्षी) मेघा अंक 59 प्रतिशत के साथ द्वितीय स्थान पर थी। पंचायत— लक्ष्मीपुर, वार्ड सं0— 10 में सेविका का चयन किये जाने के मद्देनजर वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में महिला पर्यवेक्षिका (चयन समिति सचिव) तथा गणमान्य ग्रामिणों की उपस्थिति में दिनांक— 09.7.2019 को आयोजित आमसभा में मेघा सूची के प्रथम स्थान पर दर्ज अभ्यर्थी चंदन कुमारी, पति— नवल किशोर मंडल का अलग—अलग प्रमाण—पत्र में चंदन कुमारी एवं चांदनी कुमारी अंकित रहने को संदेहास्पद पाते हुए मेघा सूची के द्वितीय स्थान प्राप्त अभ्यर्थी डिम्पल कुमारी (विपक्षी), पति— बबलू कुमार का चयन सेविका पद पर किये जाने का विचार किया गया एवं आवेदिका के नाम में बताए गए त्रुटि का निराकरण बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से करा लिय जाने हेतु समय की मांग किए जाने पर आमसभा द्वारा इन्हें मौखिक रूप से स्वीकृति दी गई, किन्तु बाद में आमसभा द्वारा द्वितीय स्थान प्राप्त अभ्यर्थी डिम्पल कुमारी (विपक्षी), पति— बबलू कुमार का चयन सेविका पद पर गुप—चुप तरीके से कर लिया गया। जिसके विरूद्ध आवेदिका ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बी0कोठी को चयन में हुई अनियमितता को लेकर परिवाद आवेदन समर्पित किये जाने के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बी0 कोठी ने पत्रांक— 362, दिनांक— 01.8.2019 से संबंधित पक्षों को सूचना दी गई। उक्त निदेश के आलोक में दिनांक— 07.8.2019 को<br>क्रमशः | |

Web copy. Not Official.

| Serial No. | Date of order of proceeding. | Order with signature of the court. | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <u>लगातार</u><br>**04-10-2024** | उभय पक्षों द्वारा अपना–अपना जवाब समर्पित किया गया, किन्तु लंबी अवधि बीत जाने के बावजूद भी कोई सार्थक आदेश पारित नही किये जाने पर आवेदिका द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के न्यायालय में दिनांक– 12.12.2022 को आवेदन समर्पित किये जाने के आलोक में अपने आदेश ज्ञापांक– 35/जि0 प्रो0, दिनांक– 08.01.2024 में आवेदिका के पक्ष को दर–किनार करते हुए इनके प्रमाण–पत्रों में मात्र नाम की भिन्नता के कारण वाद खारिज कर दिया गया। इस प्रकार जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा आमसभा के निर्णय को सही करार देते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गई। जो सही नही है।<br>इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं विधि–विरूद्ध है। विभागीय मार्गदर्शिका (ICDS) के पत्रांक– 286, दिनांक– 27.5.2019 के आलोक में आवेदिका ने आंगनबाड़ी सेविका चयन में हुए अनियमितता के विरूद्ध प्रथम परिवाद आवेदन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बी0कोठी को समर्पित किया, जिसपर नियमानुसार सुनवाई कर उनके स्तर से आदेश पारित किया जाना अपेक्षित था किन्तु उनके द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित न कर मार्गदर्" ाका, 2019 का घोर उल्लंघन किया गया है। आवेदिका ने आमसभा के मौखिक आदेशानुसार अपने शैक्षणिक प्रमाण–पत्र में वांछित त्रुटि निराकरण करा लिया है वही विपक्षी सं0–4 डिम्पल कुमारी, पति– बबलू कुमार मंडल ने अपने आवेदन के साथ संलग्न जाति प्रमाण–पत्र, जो अंचलाधिकारी, बी0कोठी द्वारा निर्गत आवेदन सं0– 041813092021401919, प्रमाण–पत्र सं0– TC/14101883, dated- 23-12-2014 है में अंकित पता इनके पति के नाम एवं ससुराल का है जबकि नियमानुसार जाति प्रमाण–पत्र पिता (मायके) के पता से निर्गत होना चाहिए, जो मान्य होता है। किन्तु न सिर्फ आमसभा द्वारा बल्कि निम्न न्यायालय द्वारा भी इसे नजरअंदाज कर दिया गया तथा विपक्षी सं0–4 के चयन को सही करार दिया, जो न सिर्फ एक अन्यायपूर्ण व विधि विरूद्ध आदेश है बल्कि पारित आदेश में प्रक्रियात्मक त्रुटि भी हुई है, जिसमें श्रीमान के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है।<br>दूसरी तरफ विपक्षी सं0–04 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आमसभा में लिया गया निर्णय तथा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आवेदिका का नाम चंदन कुमारी तथा शैक्षणिक प्रमाण–पत्र में चांदनी कुमारी दर्ज होने के फलस्वरूप संदेह के आधार पर मेघा सूची में प्रथम स्थान प्राप्त आवेदिका के स्थान पर मेघा सूची के द्वितीय अभ्यर्थी विपक्षी सं0–04 का चयन आंगनबाड़ी सेविका के पद पर किया गया, जिसे निम्न<br>क्रमशः | |

Web copy. Not Official.

| Serial No. | Date of order of proceeding. | Order with signature of the court. | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <u>लगातार</u><br>**04-10-2024** | न्यायालय में भी सही पाया गया ह। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।<br>जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया ने पत्रांक–292, दिनांक– 22.02.2024 द्वारा कंडिकावार मंतव्य समर्पित करते हुए यह उल्लिखित किया है कि परिवादी श्रीमती चॉदनी कुमारी, पति– श्री नवल किशोर मंडल, पंचायत लक्ष्मीपुर, वार्ड सं0– 10, प्रखंड– बी0कोठी, अनुमंडल– धमदाहा, जिला– पूर्णिया द्वारा परिवाद दायर किया गया कि वे उक्त वार्ड के स्थायी निवासी है तथा आंगनबाड़ी केन्द्र भित्त टोला, केन्द्र सं0– 145 पर आंगनबाड़ी सेविका के रूप में सबसे प्रबल अभ्यर्थी थी। सर्वाधिक अंक तथा सभी वांछित योग्यता उनके पास है, किन्तु मैट्रिक के शैक्षणिक प्रमाण–पत्र में लिपिकीय व मुद्रण भूलवश उनके नाम में भिन्नता रहने के कारण उन्हें सेविका चयन से अयोग्य घोशित करते हुए यह कहा गया कि वे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से नाम शुद्ध करवा ले, आपके चयन का विकल्प सुरक्षित रहेगा। उनके द्वारा बोर्ड से नाम सुधार करवाने के पश्चात उनके द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बी0कोठी से समस्या के निदान हेतु निवेदन किया गया किन्तु उन्होंने आवेदन वरीय पदाधिकारी को समर्पित करने हेतु निदेशित किया। तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण कर मुखर आदेश पारित नही किया जा सका था। उक्त के आलोक में पुनः कार्यालय अभिलेख में संलग्न प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में सभी संबंधितों को नोटिस निर्गत कर साक्ष्य सहित अपना पक्षा रखने हेतु निदेशित किया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बी0कोठी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन तथा मूल अभिलेख, आमसभा की कार्यवाही पंजी आदि कागजातों के अवलोकनोपरांत पाया गया कि दिनांक– 09.7.2019 को आमसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मेघासूची की प्रथम अभ्यर्थी चंदन कुमारी, पति– नवल किशोर मंडल के मूल प्रमाण–पत्र का जॉच आम सभा में किया गया उनके मैट्रिक के मूल प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र में चंदन कुमारी एवं विद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र, मैट्रिक के प्रवेश पत्र, निवास एवं जाति प्रमाण–पत्र में चांदनी कुमारी अंकित है। इस प्रकार मैट्रिक के ही अलग–अलग प्रमाण–पत्रों में अलग–अलग नाम अंकित रहने के कारण प्रमाण–पत्रों को संदेहास्पद पाते हुए आमसभा में सर्वसम्मति से मेघा सूची के द्वितीय स्थान प्राप्त अभ्यर्थी डिम्पल कुमारी, पति– बबलू मंडल का चयन सेविका पद पर कर दिया गया। आमसभा द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय को सही पाते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने कार्यालय ज्ञापांक– 35/जि0प्रो0, दिनांक– 08.01.2024 द्वारा आदेश पारित किया।<br>उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी<br>क्रमशः | |

Web copy, Not Official.

**Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]**

Anganbari Revision No.- 01 /2024

| Serial No. | Date of order of proceeding. | Order with signature of the court. | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | लगातार<br>**04-10-2024** | कागजातों /साक्ष्यों के अवलकोन एवं समीक्षापरांत यह स्पश्ट है कि आवेदिका के मैट्रिक के दो प्रमाण–पत्रों के नाम में भिन्नता के कारण मेघा सूची के प्रथम स्थान पर होने के बावजूद द्वितीय अभ्यर्थी विपक्षी सं0–04 डिम्पल कुमारी का चयन किये जाने को लेकर विवाद है। आवेदिका के मैट्रिक प्रवेश पत्र में नाम चॉदनी कुमारी है स्पश्ट है कि नाम में त्रुटि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना कार्यालय के लिपिकिय भूल का परिणाम है। उक्त त्रुटि को सुधार करने के निमित्त आमसभा द्वारा आवेदिका को दिये गए मौखिक निदेश व आश्वासन पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से त्रुटि निराकरण करा लिया गया है। यह स्पश्ट होता है कि चांदनी कुमारी व चंदन कुमारी एक ही व्यक्ति है क्योंकि प्रमाण–पत्र में पिता के नाम ( रविन्द्र प्रसाद मंडल ) में कोई परिवर्तन नहीं है। वही आवेदिका का यह कहना कि विपक्षी सं0– 4 डिम्पल कुमारी का जाति प्रमाण–पत्र जिसे आवेदन के समय संलग्न किया गया है। वह मायके का न होकर ससुराल का है। नियमानुसार जाति प्रमाण–पत्र पिता (मायक) के पता से निर्गत होना चाहिए। फलस्वरूप विपक्षी सं0–04 के जाति प्रमाण–पत्र की मान्यता नही दी जा सकती है। अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों एवं पमाण–पत्रों के अवलोकन से यह विदित होता है कि आवेदिका द्वारा मैट्रिक में मूल प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र में नियमानुकूल त्रुटि सुधार करा लिया गया है। फलतः मेघा सूची में प्रथम स्थान पर होने के आधार पर आवेदिका का दावा मार्गदर्शिका में निरूपित प्रावधानों के अनुकूल एवं वैध है।<br>अतः उपर्युक्त के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक– 35, दिनांक– 08.01.2024 एवं आमसभा द्वारा विपक्षी सं0–4 (डिम्पल कुमारी) के चयन को विधि सम्मत एवं न्यायोचित नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है। आंगनबाड़ी केन्द्र सं0– 145 के सेविका पद पर मेघा सूची की प्रथम अभ्यर्थी आवेदिका (चांदनी कुमारी) को चयनित घोशित किया जाता है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया एक पक्ष के अन्दर अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करेंगी। पुनरीक्षण वाद स्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजतें हुए निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें।<br>लेखापित एवं शुद्धित।<br><br>आयुक्त,<br>पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।<br><br>आयुक्त,<br>पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। | |

Web copy. Not Official.